संख्या–2955 / नौ–2–2004–182ज / 2004

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ० प्र०,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक : 05 नवम्बर, 2004

विषय : दृष्टिहीनों / विकलांगों को भवन कर, जल कर से छूट दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–8 / 2718 / नि०स० / गृहकर आरोपण / कर–छूट / 2004–05, दिनांक 01.10.2004 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–221(3) एवं नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–157 (3) के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल प्रदेश के दृष्टिहीनों एवं विकलांगों को निम्न व्यवस्थानुसार गृहकर एवं जलकर से छूट दिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

''शत प्रतिशत दृष्टिहीन एवं विकलांग को शत प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत दृष्टिहीन एवं विकलांगों को 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।''

कृपया उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी नगर निगमों / नगर पालिकाओं / नगर पंचायतों के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(दिनेश चन्द्र मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या : 2955(1) / नौ–9–2004, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ० प्र० शासन।
3. सचिव, विकलाग कल्याण अनुभाग–1
4. समस्त मण्डलायुक्त।
5. समस्त जिलाधिकारी।
6. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)
8. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उ० प्र० शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(दिनेश चन्द्र मिश्र)
विशेष सचिव